

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रामलाल

बनाम

विपक्षी :- श्री बाबुलाल

किस्म मुकदमा - 128 मूरा.अधि.

पत्रावली संख्या : 33/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 7 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 8 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 7 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातदार कायलकार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुरखा सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्त के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

### —: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 मू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि गौजा खरडादा पटवार हल्का बरोडिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 319 की आराजी न 1023, 1034, 1035, 1036, 1320, 807, 829, 849, 850, 856, 892, 893, 894, 991 कित्ता 14 रकबा 5.1300 हे. भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही होता प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु राक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करे। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फासल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का मुगतान प्रार्थी अदा करेगा।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

